

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

I.A 824 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION. 515/2023

IN THE MATTER OF:

GANGA POLLUTION

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY TO IA NO. 824 OF 2025 ON BEHALF OF IRRIGATION DEPARTMENT, PRAYAGRAJ IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 10.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE NOTIFICATION DT. 29.01.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 26.12.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	
4.	COPY OF THE LETTER DT. 31.12.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	
5.	COPY OF THE LETTER DT. 15.05.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	

7230

THROUGH COUNSEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bpsjadon', with a long horizontal stroke extending to the right.

**BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.**

Bhanwar09jadon09@gmail.com 9639286572

Date: 19.05.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. O. 824 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 515 OF 2023



IN THE MATTER OF:

GANGA POLLUTION

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENTS

REPLY TO IA NO. 824 OF 2025 ON BEHALF OF IRRIGATION
DEPARTMENT, PRAYAGRAJ IN COMPLIANCE OF THE
ORDER DT. 10.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Digvijay Narain Shukla aged about 50 years, presently posted as
Executive Engineer Flood Works Division Prayagraj, do hereby
solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully
conversant with the facts of the case and is competent and
authorized to swear the present affidavit.



[Handwritten signature]

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That the aforesaid IA has been filed by Prayagraj Development Authority. That in the said IA the PDA has stated that the floodplain/HFL restrictions are stopping or affecting urban development and building permissions. That many lands are being treated as falling within prohibited floodplain zones. Therefore PDA wants clarification that construction outside the scientifically identified coordinates/floodplain should be allowed. That PDA has prayed to the Hon'ble Tribunal NGT allow it to sanction the maps and allow construction to be raised outside the coordinates given by CWC under Ganga Rejuvenation Order, 2016.

4. That the present matter was last listed for hearing on 10.02.2026, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

“3. Learned Counsel for State of UP is also directed to examine the plea taken by applicants in pending I.A. No.824/2025 & I.A. No.557/2024.”

5. That it is submitted that in compliance of the aforementioned directions, the response to the said IA is as under.

6. That it is respectfully submitted by the Respondent that the delineation of the Flood Plain Zone (FPZ) of River Ganga, Segment B, Phase II, has been carried out in reference to the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. The coordinates demarcating the Flood Plain Zone, based on a flood frequency of 1 in 100 years, have been duly published vide Gazette Notification issued under Section 4 of the Irrigation and Water Resources Department, bearing Notification No. 24/2025/107/2025&27/1rr/4/16 (Writ) NGT/2023, dated 29.01.2025, at Lucknow. The present submission is made in Original Application No. 515/2023.

A Copy of the Notification dt. 29.01.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1**.

7. It is stated that the Flood Plain Zone of the river Ganga has been determined by Irrigation Department, U.P. and the irrigation department, UP provided the coordinates of (Longitude & Latitude) sent by NIH to all the concerned departments, Uttar

Pradesh and ask them to take necessary actions as per the coordinates (latitude & longitude). It is also stated that if the concerned departments face any issues regarding the above said Coordinates, the irrigation department is ready to provide the assistance.

8. That at present, boundary pillars demarcating the floodplain zone have been installed along approximately 200 kilometers stretch of River Ganga in the District Prayagraj out of the total stretch of 250 kms. The installation of boundary pillars in the remaining 50 kilometers stretch within District Prayagraj is presently under progress as the same has encountered obstruction on account of protests and resistance from residents of the adjoining areas. The Flood Works Division, Irrigation and Water Resources Department, Prayagraj, is continuously undertaking monitoring and inspection of the demarcation work. It is further submitted that upon completion of the floodplain demarcation exercise, it would be feasible to effectively regulate and restrain unauthorized construction activities, encroachments, commercial operations, and pollution-causing activities being carried out along both banks of River Ganga.

9. It is further submitted that, for completion of the aforesaid work, the Irrigation Department vide letter dated 26.12.2025 requested the District Magistrate, Prayagraj to issue necessary directions for deployment of adequate police force for ensuring smooth execution of the demarcation process. That thereof, the District Magistrate, Prayagraj vide letter dated 31.12.2025 addressed to the Police Commissioner, Prayagraj, requested provision of the requisite police force. It is submitted that the said police force has been deployed and the remaining demarcation work is likely to be completed by 15.06.2026 as per the letter dt 15.05.2026 of the Executive Engineer, Flood Works Division, Prayagraj.

Copies of the letters dt. 26.12.2025, 31.12.2025 and 15.05.2026 have been annexed herewith as **ANNEXURE R-2, ANNEXURE R-3 AND ANNEXURE R-4.**

10. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

11. That the deponent is duty bound to fulfill the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure the strict

adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be passed by Hon'ble Tribunal without demur or delay. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Xloida on this 19th day of May, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.




DEPONENT

ATTESTED
K.P.S. YADAV
NOTARY PUBLIC
Reg. No.-4123

19 MAY 2026

27-4010(099)/25/2023-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

(डायरी सं०... ८-८७... मु०३१० ज०स०)

दिनांक...

11/02/25

1/863469/2025

Dry. No. G 238 IPC/CAMP

Date... 13/02/25

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

डॉ० अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

डा०स०... 117B / सावन

प्रमुख अभि० (सिंचाई)

दिनांक... 07/02/2025

110-3 L.R.

234

14/2/25

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ०प्र० शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ:

दिनांक: 29 जनवरी, 2025

विषय: ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के अनुपालन में गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० के पत्र दिनांक 16-12-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के प्रस्तर- 6 में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

"6. Learned Counsel for the State of UP has informed that simultaneously the exercise of ground truthing verification is in progress and after receipt of the final report. the said exercise will be completed by 15.12.2024. He has submitted that the delineation work of the stretch of 700 km of River Ganga in State of UP in Phase-II will be completed by 31st of December, 2024 and, thereafter, within four weeks the final notification will be issued."

3. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना है:-

SEP

Raj

(मु०अ०ज०स०)

16/02/25

मु० अ० (उ०प्र०)

11/02/25

16/02/25

11/02/25

S.15/2023

E.E. 1 & P Div.-3
14.2.25

EXEN I & P Div 3

AS

SEI

क्रमांक	जनपद	नांगीट्यूड एवं बैटिट्यूड
1.	कानपुर	संलग्नक-1
2.	उन्नाव	संलग्नक-2
3.	फतेहपुर	संलग्नक-3
4.	रायबरेली	संलग्नक-4
5.	कौशांबी	संलग्नक-5
6.	प्रतापगढ़	संलग्नक-6
7.	प्रयागराज	संलग्नक-7
8.	मीरजापुर	संलग्नक-8
9.	भदोही	संलग्नक-9
10.	वाराणसी	संलग्नक-10
11.	चंदौली	संलग्नक-11
12.	गाजीपुर	संलग्नक-12
13.	बलिया	संलग्नक-13

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के अनुपालन में गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude)(प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में एन.एम.सी.जी. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगे।

5. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

Signed by

Aravind Kumar Chaurasia
(डॉ० अरविन्द कुमार चौरसिया)
Date: 28-01-2025 11:55:36

विशेष सचिव।

पृष्ठांक संख्या-24 /2025/107/2025-27-सि०-4-16(रि०)(एन०जी०टी०)/2023 दिनांक 29 जनवरी, 2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ०प्र०।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ०प्र०।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ०प्र०।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ०प्र०।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-4 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्य अभियन्ता(शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
21. गार्ड फाईल।

Signed by:

Amit Pranav

(Date: 29-05-2025 13:26:35)

संयुक्त सचिव।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

नविन सब्जी मण्डी बक्शी बंध, प्रयागराज पिन : 211002

Email Id-ec.flood.alld@gmail.com

सेवा में,

1. जिलाधिकारी महोदय,
प्रयागराज।
2. पुलिस आयुक्त,
प्रयागराज।

पत्रांक :- 2315 / बाकाखप्र / राष्ट्रीय हरित / दिनांक. 26-12-2025

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अनुपालना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि OA संख्या:-515/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा नदियों के संरक्षण हेतु आदेश पारित किया गया है, जिसमें NIH Roorkee द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कर विगत 100 वर्षों में आयी बाढ़ को मानक मानकर उसके आधार पर नदी के दोनो किनारे पर पिलरों के Latitude एवं Longitude निर्धारित कर 28 फरवरी 2026 तक लगाए जाने के निर्देश दिये गये हैं। पिलरो की स्थापना पर जनमानस द्वारा वाद-विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है जिसके लिए प्रशासन एवं पुलिस बल की आवश्यकता है। ज्ञातव्य हो कि मा0 न्यायालय द्वारा इसका सतत अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 न्यायालय के आदेशों की अनुपालना हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समय सीमा में कार्य पूर्ण कराकर मा0 न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित हो सकें।

(डी0एन0 शुक्ल)

अधिशासी अभियन्ता

बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

पत्रांक:- 2315 / बाकाखप्र / राष्ट्रीय हरित / दिनांक: 26-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज।
3. सहायक अभियन्ता - प्रथम, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाना कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज
26/12/25

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
कमिश्नरेट, प्रयागराज।
संख्या /जे0ए0-2025

दिनांक 31.12.25

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज के पत्र सं0-2315/बाकाखप्र/राष्ट्रीय हरित दिनांक 26.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 न्यायालय द्वारा नदियों के संरक्षण हेतु आदेश पारित किया गया है, जिसमें NIH Rookee द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कर विगत 100 वर्षों में आयी बाढ़ को मानक मानकर उसके आधार पर नदी के दोनों किनारे पर पिलरों के Latitud एवं Longitude निर्धारित कर 28 फरवरी 2026 तक लगाए जाने के निर्देश दिये गये हैं। पिलरों की स्थापना पर जनमानस द्वारा वाद-विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है जिसके लिए प्रशासन एवं पुलिस बल की आवश्यकता है। ज्ञातव्य हो कि मा0 न्यायालय द्वारा इसका सतत अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

अतः अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज के पत्र सं0-2315/बाकाखप्र/राष्ट्रीय हरित दिनांक 26.12.2025 की छायाप्रति संलग्न करके इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(सत्यम मिश्र)
अपर जिलाधिकारी(नगर)
प्रयागराज।

संख्या 1983 /जे0ए0-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज के पत्र सं0-2315/बाकाखप्र/राष्ट्रीय हरित दिनांक 26.12.2025 के कम में सूचनार्थ।

संलग्नक
BE.B.

31/12/25
(सत्यम मिश्र)
अपर जिलाधिकारी(नगर)
प्रयागराज।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

पत्रांक : 023 / बा0का0खं0प्रया0 / एन0जी0टी0 / दिनांक : 15 05 2026


विषय : ओ0ए0 संख्या 515/2023 के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके क्रम में माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन एप्लीकेशन नं0 515/2023 के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है।


अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में गंगा नदी के दोनों किनारों पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु कुल 1210 प्रीकास्ट आर0सी0सी0 पिलर लगाये जाने थे, जिसमें अप्रैल/2026 तक 900 पिलर लगाया जा चुका है। एवं शेष 310 पिलर के कार्य की प्रगति रिपोर्ट/वर्क प्रोग्राम संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

पत्रांक : / बा0का0खं0प्रया0 / एन0जी0टी0 / तददिनांक :

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

Progress Report

कार्य का नाम : जनपद प्रयागराज में गंगा नदी के दोनों किनारों पर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु प्री-कास्ट आर0सी0सी0 पिलर लगाने का कार्य।

अनुबन्ध संख्या 08/एस0ई0/2025-26

कार्य प्रारम्भ की तिथि : 01.11.2025

कार्य समाप्ति की तिथि : 28.02.2026

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि : 15.06.2026

क0सं0	कुल पिलर		अवशेष पिलर	ढलाई (Casting)				पिलर लगाना (Placing)			
	लक्ष्य	प्रगति	अप्रैल/2026	मई/2026		15, जून/2026		मई/2026		15, जून/2026	
				लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	1210	900	310	150	—	160	—	150	—	160	—


 अधिशासी अभियन्ता
 बाढ़ कर्म्य खण्ड, प्रयागराज